खबरों में शहर

बिहार-झारखंड के साझा रिश्तों पर पटना में व्याख्यान देंगे राष्ट्रपति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शुक्रवार को पटना का दौरा करेंगे। अपने एक दिन के बिहार दौरे में मुखर्जी 'बिहार और झारखंड-साझा विजन के लिए साझा इतिहास' विषय पर तीसरे एशियाई अनुसंधान विकास संस्थान (एडीआरआइ) रजत जयंती अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति दोनों राज्यों के साझे रिश्ते पर व्याख्यान देंगे।

डीयू प्रयोगशाला कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और कॉलेज प्रयोगशाला कर्मचारी संघ (डुकुलसा) का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। अपनी मांगों को मनवाने के लिए 700 से अधिक कर्मचारी बुधवार से डीयू के उत्तरी परिसर में मौजूद कला संकाय के गेट के सामने धरना दे रहे हैं। धरने की वजह से गुरुवार को डीयू के विभिन्न विभागों और कॉलेजों की प्रयोगशालाओं का काम बाधित रहा। कर्मचारी संघ की ओर से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को गुरुवार सुबह ही मांगों पर बातचीत का आग्रह किया गया परन्तु डीयू प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला इससे कर्मचारी में काफी गुस्सा देखा गया। संघ के प्रधान नन्द किशोर ने बताया है कि हमने निर्णय किया है कि प्रशासन के अड़ियल रवैये को देखते हुए शुक्रवार को विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 4 तक जुलूस निकाला जाएगा।

200 परिवारों को पुनर्वास का इंतजार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

दिल्ली मेरठ हाईवे के विस्तार के नाम पर डीयूएसआइबी, दिल्ली पुलिस और हाईवे अथॉरिटी ने 9 फरवरी को पश्चिम विनोद नगर के राजीव कैंप और पूर्व विनोद नगर के जयभारती के झुग्गी कैंप के 200 परिवारों को उजाड़ दिया। उनका अभी तक पुनर्वास नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि इन परिवारों के पास यहां पर रहने के सभी सुबूत मौजूद हैं। नेहरू कैंप के 250 परिवारों को ईडब्लूएस कोटे के फ्लैट दिए गए हैं। इन परिवारों के लोग हाईवे के फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों कुछ लोगों के साथ पुनर्वास कागजों के साथ फोटो खिंचवा लिए और कोरी वाहवाही लूटने का काम किया।

क्या स्वराज इंडिया को समान चुनाव निशान दिया जाए?

- हाई कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से पूछा
- चुनाव निशान आबंटित करने के नियमों में संशोधन को पत्र लिखा

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली चुनाव आयोग से पूछा कि क्या उसका इरादा योगेंद्र यादव नीत स्वराज इंडिया जैसे पंजीकृत लेकिन गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान चुनाव निशान देने का है।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने दिल्ली राज्य चुनाव आयोग से कहा, 'क्या राज्य चुनाव आयोग की मंशा पंजीकृत लेकिन गैरमान्यता प्राप्त दलों को समान चुनाव निशान देने की है। क्या आप (चुनाव आयोग) नियम में बदलाव के लिए इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कोई पत्र लिखेंगे'?

अदालत ने आयोग से यह सवाल उस समय किया जब स्वराज इंडिया की ओर से पेश शांति भूषण ने कहा कि पंजीकृत लेकिन गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान चुनाव निशान आबंटित करने के लिए नियमों में संशोधन पर विचार के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा गया है। भूषण ने उस याचिका पर दलीलों के दौरान ये बातें कहीं जिसमें आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए स्वराज इंडिया को समान चुनाव निशान आबंटित नहीं करने के आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी। दलीलों पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने आयोग के वकील सुमीत पुष्करणा से शुक्रवार तक उसके सवाल का जवाब देने को कहा।

निगम चुनाव में सात वाम दलों की साझेदारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनावों में सात वामपंथी पार्टियां भी मैदान में उतरने जा रही हैं। माकपा, भाकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक, भाकपा (माले-लिबरेशन), एसयूसीआइ (सी), आरएसपी और सीजीपीआइ ने संयुक्त रूप से नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

यह फैसला इन पार्टियों के दिल्ली राज्य नेतृत्व की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया। वामपंथी पार्टियां तीनों नगर निगमों में भाजपा और कांग्रेस के कुशासन व भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगी। काफी समय से दिल्ली नगर निगम में भाजपा का कब्जा है। वे वैकल्पिक नजरिये व नीतियों के आधार पर मतदाताओं से मत मांगेंगी। बैठक में धीरेंद्र शर्मा, दिनेश वार्ष्णेय, केएम तिवारी, पीएमएस ग्रेवाल, धर्मेंद्र वर्मा, अमरनाथ तिवारी, प्रेम शर्मा, आरएस डागर और बिरजू नायक मौजूद थे।

श्रद्धांजलि

शहीदी दिवस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी वायसरीगल लॉज के बेसमेंट में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए। इसी बेसमेंट में अंग्रेजों ने भगत सिंह को कुछ समय के लिए कैद में रखा था।

व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश के लिए देने होंगे 150 रुपए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,23 मार्च।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल एक (आगमन) पर पहुंचने के लिए अब व्यावसायिक वाहनों को 150 रुपए प्रवेश शुल्क के तौर पर चुकाने होंगे। दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के प्रवक्ता ने कहा है कि इस टर्मिनल के निकास मार्ग पर अवैध कार पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह डेढ़ सौ रुपए का शुल्क अवैध रूप से खड़े होकर यात्रियों की प्रतीक्षा करने वाले वाहनों की भीड़ को हतोत्साहित करेगा। इसके अलावा यह यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी था।

हवाई अड्डे के पास कारों का रेला होने से जाम भी लग जाता है। जिससे चेक-इन करने वालों को देरी होती थी। इन तमाम दिकक्तों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। फीस लगाने के अलावा अन्य उपाय भी किए गए हैं। मसलन आठ मिनट से ज्यादा देर खड़ी होने वाली कार को या तो उठवा लिया जाए, या पहिए को रोक दिया जाए। चार करोड़ सालाना यात्रियों के साथ यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला एयरपोर्ट है।

यह यूजीसी के नियमों का पालन है : जावड़ेकर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

- जेएनयू के एमफिल व पीएचडी पाठ्यक्रमों में बड़े पैमाने पर सीटें कम करने का मंत्री ने किया बचाव

गुरुवार को राज्यसभा में बोलते मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर।

जेएनयू छात्र संघ ने एमफिल व पीएचडी पाठ्यक्रमों में बड़े पैमाने पर सीटें कम किए जाने के खिलाफ हड़ताल जारी रखने का गुरुवार को फैसला किया। वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वविद्यालय के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह यूजीसी के नियमों का पालन कर रहा है।

छात्रों ने एक दिनी हड़ताल का बुधवार को आह्वान किया था, गुरुवार को उन्होंने इसे दो और दिन जारी रखने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय के बाहर शुक्रवार को प्रदर्शन करने का फैसला किया। हालांकि, मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय के कदम का बचाव करते हुए कहा है कि जेएनयू के प्रोफेसरों को जितने शोधार्थियों को गाइड करने का अधिकार प्राप्त है, वे उससे कहीं अधिक को गाइड करते हैं। मंत्री का बयान राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आया, जब सदन के सदस्यों ने पीएचडी सहित शोध की स्थिति और मात्रा पर चिंता जाहिर की। जावड़ेकर ने कहा कि यूजीसी के नियमों के मुताबिक, एक प्रोफेसर आठ शोधार्थियों को, एक एसोसिएट प्रोफेसर छह शोधार्थियों को जबकि असिसटेंट प्रोफेसर चार शोधार्थियों को गाइड कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि जेएनयू में प्राध्यापकों (प्रोफेसर) द्वारा 20-25 शोधार्थियों तक को उनकी पीएचडी के लिए गाइड करने के उदाहरण हैं।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने मंगलवार को अपनी विवरण पुस्तिका जारी की जिसमें एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों में सीटों की कटौती की गई है। इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों के जिला जेएनयू की दाखिला नीति को चुनौती देने वाली कुछ छात्रों की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि यूजीसी के दिशानिर्देश सभी विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी हैं।

संघ प्रमुख भागवत से सबक सीखेंगे डीयू के शिक्षक

हंसराज कॉलेज में ज्ञान संगम नाम से 25-26 मार्च को दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन होगा

नई दिल्ली, 23 मई (भाषा)।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में देश भर के विश्वविद्यालयों के करीब 100 शिक्षक 'औपनिवेशिक तरीकों' को पीछे छोड़ कर ज्ञान प्रदान करने तथा छात्रों में 'राष्ट्रीय मूल्य' डालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से कुछ सबक सीखने वाले हैं।

संघ डीयू के हंसराज कॉलेज में ज्ञान संगम नाम से 25-26 मार्च को दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है। सेमिनार में 'शिक्षण प्रणाली को औपनिवेशिक मूल्यों से कैसे मुक्त करें और उनमें राष्ट्रीय मूल्य कैसे स्थापित करें' सहित अन्य विषयों पर होने वाली परिचर्चा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और इसके संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल सहित अन्य लोग शामिल होंगे।

कार्यक्रम की अवधारणा नोट में कहा गया है कि विदेशी तत्त्वों ने भारत की हजारों बरसों पुरानी शिक्षा प्रणाली और इसके केंद्रों को नष्ट कर दिया, हमारे पुस्तकालयों को जला दिया और भारतीय ज्ञान परंपरा का अपमान किया। इसमें कहा गया है कि एक ओर जहां तुर्क और मुगल हमलावरों ने हमारे मंदिर नष्ट कर दिए, वहीं अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित की जिसमें लोगों का भारतीय शिक्षा प्रणाली से भरोसा उठ गया।

इसमें कहा गया है कि भारत को एक सामाजिक एवं बौद्धिक नजरिए को विकसित करना होगा जो इसकी मौजूदा पीढ़ी की समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। 'हमें छात्रों को औपनिवेशिक मूल्यों से मुक्त करना होगा और उनमें राष्ट्रीय मूल्य डालना होगा'। संघ से जुड़े करीब 100 शिक्षक और विभिन्न विश्वविद्यालयों से संघ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भ२२२ाग लेंगे। इसमें राजनीति विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, विज्ञान, समाजशास्त्र, संचार, थियेटर, साहित्य और अर्थशास्त्र पर चर्चा होगी।

कांग्रेस का प्रचार करेंगे अमरिंदर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी 30 मार्च को पश्चिम दिल्ली में शाम पांच बजे पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नागरिक अभिनंदन करेगी। पंजाब चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से जीत हासिल करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली में यह पहला नागरिक अभिनंदन किया जाएगा जबकि कांग्रेस ने पंजाब चुनाव में 117 सीटों में से 77 सीटों को जीती हैं।

LIBERTY
फोन: 28711800/28712998
"फिलौरी" हिन्दी (यू/ए)
* दिलजीत दोसंझ, अनुष्का शर्मा
रोजाना: 12 दोपहर, 3.15 अप., 6.30 सायं एवं 9.30 रात्रि
इन्टरनेट बुकिंग: www.libertycinema.in
फोन बुकिंग नं. 39895050

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि खसरा नं. 1127/2, 1128/2, 1129, 1130, 1131/1, 1131/2 की कुल 3.4 एकड़ भूमि जो लैण्ड लॉक्ड सम्पत्ति सं. 1127/2/2 (2-14), 1128/2/2 (1-7), 1129/2 (4-15), 1130/2 (4-4) के सामने में है, में सम्पत्ति माप 0.50 एकड़ भूमि में पंजीकृत लीज सं. 3308 तिथि 15/6/2015 के माध्यम से मैं उसका लीजी हूं। आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों का ध्यान रखते हुए उपरोक्त भूमि पार्सल नं. 1127/2/2 (2-14), 1128/2/2 (1-7), 1129/2 (4-15), 1130/2 (4-4) में व्यवसाय करें।

धन्यवाद सहित
हस्ता./-
बहादुर सिंह
पुत्र सुरजन सिंह
निवासी 23ए, न्यू मंगलापुरी
एमजी रोड, नई दिल्ली-110030

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि खसरा नं. 1127/7, 1128/2, 1129, 1130, 1131/1, 1131/2 की कुल 3.4 एकड़ भूमि जो लैण्ड लॉक्ड सम्पत्ति सं. 1127/2/2 (2-14), 1128/2/2 (1-7), 1129/2 (4-15), 1130/2 (4-4) के सामने में है, में सम्पत्ति माप 2.64 एकड़ भूमि में पंजीकृत लीज सं. 3307 तिथि 15/6/2015 के माध्यम से मैं उसका लीजी हूं। आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों का ध्यान रखते हुए उपरोक्त भूमि पार्सल नं. 1127/2/2 (2-14), 1128/2/2 (1-7), 1129/2 (4-15), 1130/2 (4-4) में व्यवसाय करें।

धन्यवाद सहित
हस्ता./-
राजेन्द्र यादव
पुत्र ईश्वर सिंह
निवासी एच. नं. 121-ए, सुल्तानपुर,
नई दिल्ली-110036

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, A-14, SEC-1, PDIL BHAWAN, NOIDA-201301
In the matter of Section 12 of the Companies Act, 2013
AND
In the matter of GLITCH ADVERTISING PRIVATE LIMITED, having its Registered office at # C- 10, ANSAL VILLA, VILLAGE SATBARI, CHATTARPUR, NEAR CHATTATRPUR MANDIR, NEW DELHI - 110074
AND
In the matter of GLITCH ADVERTISING PRIVATE LIMITED, the Petitioner

Notice is hereby given that a petition under section 12 of the Companies Act, 2013 will be filed before the Regional Director, Northern Region, MCA, A-14, Sec-1, PDIL Bhawan, Noida-201301, by the petitioner company seeking confirmation of alteration of clause -II of Memorandum of Association in terms of Special resolution passed in EGM of petitioner Company held on 16th January, 2017 to enable it to change the place of its Registered office from NCT of Delhi to State of Haryana, Gurgaon. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration in the Memorandum of Association, may intimate to the Bench Officer, The Regional Director, Northern Region Bench Noida, within 21 days of the publication of this notice. The nature of the interest and the grounds of opposition, if any, should be sent in original to the said Bench Office with a copy the petitioner at registered office of the company mentioned above.

For **GLITCH ADVERTISING PRIVATE LIMITED**
Sd/-
Kabir Kochhar
(Director)
Place: New Delhi
Date: 24.03.2017

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
INDIRA GANDHI NATIONAL CENTRE FOR THE ARTS
SPIC MACAY

'भिन्न षड्ज' शृंखला के अन्तर्गत
श्रीमती मंजरी असनारे
द्वारा
प्रातः कालीन रागों की प्रस्तुती के कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
दिनांक : शनिवार 25 मार्च, 2017
समय : प्रातः 8:00 बजे
स्थान : ऑडिटोरियम, सी॰ वी॰ मैस, जनपथ, नई दिल्ली-110001

'भिन्न षड्ज' इ.गा.रा.क.केन्द्र द्वारा शुरू की गई एक मासिक शास्त्रीय संगीत शृंखला है जिसके अन्तर्गत दुर्लभ रागों और रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कलाकारों से अनुरोध किया जाता है। यह इस शृंखला की पाँचवी कड़ी है।

वेबसाइट: www.ignca.nic.in ईमेल: igncakaladarsana@gmail.com
फेसबुक: Facebook: www.facebook.com/IGNCA; ट्विटर: Twitter: @igncakd
उत्तरापेक्षी: +91-11-23388155 (9:00 बजे से 5:30 बजे तक)
यह शृंखला स्पिक मैके के सहयोग से आयोजित की जा रही है।
नजदीकी: मेट्रो स्टेशन केन्द्रीय सचिवालय, गेट सं0-2 एवं जनपथ गेट सं0-1 और 4

HIMALYA INTERNATIONAL LIMITED
Regd. Office: E - 555, 1st & 2nd Floor Palam Extension, Sector - 7, Dwarka, New Delhi -110077 CIN: L70102DL1992PLC047399
Tel: 011-45108609 Website: http://www.himalyainternational.com
Email: cs@himalyainternational.com

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF HIMALYA INTERNATIONAL LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated the March 14, 2017 the New Delhi Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meetings to be held of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of Himalya International Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Composite Scheme of Arrangement proposed to be made among Himalya International Limited, Appetizers and Snacks Food Limited and Himalya Green Apartments Limited and their Shareholders and Creditors.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that the following meetings of Himalya International Limited:

- Meeting of Equity Shareholders of the Company at Govindham Banquet Hall, WZ 306-0 Data Ram Marg, Near Flyover Sector -7, Dwarka, New Delhi on Friday, April 28, 2017 at 10.30 a.m.
- Meeting of Secured Creditors of the Company at State Bank of India, JawaharVyaparBhawan, 9th Floor, 1, Tolstoy Marg, New Delhi – 110 001 on Monday, the April 24, 2017 at 11.30 a.m.
- Meeting of Unsecured Creditors of the Company at Govindham Banquet Hall, WZ 306-0 Data Ram Marg, Near Flyover Sector -7, Dwarka on Monday, the April 24, 2017 at 1.30 p.m.

Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company are requested to attend the meetings respectively. Copies of the said Composite Scheme of Arrangement and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the Company. Persons entitled to attend and vote at the meetings, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Company at E - 555, 1st & 2nd Floor Palam Extension, Sector - 7, Dwarka New Delhi – 110 077 not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy can be had at the registered office of the Company.

The Tribunal has appointed Mr. Sudhanshu Batra, Sr. Advocate and failing him, Mr. Pradeep Pincha, Advocate as Chairperson of the above mentioned three meetings. The above mentioned Composite Scheme of Arrangement, if approved in the said meetings, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Dated this 22nd day of March, 2017
Place : New Delhi
By order of the National Company Law Tribunal
Sd/
Chairperson

लाभ का पद

भाजपा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

जिला आपदा प्रबंधन में आप विधायकों की अगुआई पर उठे सवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को असंवैधानिक रूप से जिला आपदा प्रबंधन का चेयरपर्सन बनाने का मामला उठाया है। इस संबंध में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस की और कहा कि इस मामले पर राष्ट्रपति का ध्यान दिलाने के उद्देश्य से पार्टी ने उन्हें एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इन नियुक्तियों को करते हुए दिल्ली सरकार ने लाभ के पद संबंधी संवैधानिक नियमों की अवहेलना एवं उल्लंघन किया है। भाजपा का निवेदन है कि राष्ट्रपति इस याचिका को समयबद्ध फैसले के लिए चुनाव आयोग को प्रेषित करें।

तिवारी ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक साहब सिंह चौहान के मार्गदर्शन में सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से 29 अप्रैल, 2015 की एक गजट अधिसूचना के माध्यम से 11 विधायकों को जिला आपदा प्रबंधन कमेटियों का चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने का मामला रखा है। उन्होंने याचिका में कहा है कि ये नियुक्तियां कानून संगत नहीं हैं और इन्हें करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14ए 24ए 2,एच आदि की अवहेलना की गई हैं।

उन्होंने कहा है कि हमने राष्ट्रपति को कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए बिन्दु तर्कसंगत हैं और इससे यह स्पष्ट होता है कि लाभ के पद संबंधी निर्देशों की अवहेलना हुई है। उन्होंने कहा है कि कानून इस मामले में स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार विधायकों को चेयरपर्सन नियुक्त नहीं कर सकती और कानूनी तौर पर निगम पार्षदों को यह पद मिलना चाहिए था। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक द्वेष के चलते निगम पार्षदों की जगह सत्ताधारी विधायकों नियुक्त किया गया। इससे पूर्व मार्च, 2015 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव भी असंवैधानिक रूप से नियुक्त किया था।

प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर और शाजिया इल्मी, पूर्व विधायक साहब सिंह चौहान, याचिकाकर्ता विवेक गर्ग और दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर भी मौजूद थे।

इन विधायकों पर सवाल

विधायक	विधानसभा
संजीव झा	बुराड़ी
नितिन त्यागी	लक्ष्मी नगर
प्रवीन कुमार	जंगपुरा
पवन शर्मा	आदर्श नगर
श्रीदत्त शर्मा	घोण्डा
राजेश गुप्ता	वजीरपुर
सरिता सिंह	रोहताश नगर
दिनेश मोहनिया	संगम विहार
अमानतुल्लाह खान	ओखला
कैलाश गहलोत	नजफगढ़
जरनैल सिंह	तिलक नगर

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट न0-01,के0पी0-04, ग्रेटर नोएडा सिटी
गौतमबुद्धनगर-201308
सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नोएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत मै0 **Parsvnath Developers Limited** के भूखण्ड संख्या जी.एच0-05 सैक्टर-pi ग्रेटर नोएडा पर दिनांक-30.03.2007 को मानचित्र स्वीकृती प्रदान की गयी थी। बिल्डर द्वारा **एफ॰ए॰आर॰ एंव घनत्व के सापेक्ष पुनरीक्षित मानचित्र** हेतू दिनांक-06.04.2016 को आवेदन किया गया है। जिसमे पूर्व स्वीकृत फ्लैटों के डिजाईन मे संशोधन किया जा रहा है, अतः प्रत्येक आवंटियों द्वारा अपनी Consent दी गई है या नही के सम्बन्ध मे अपार्टमैन्ट ओनर अपनी आपत्ति दर्ज करावा सकते है। इस सम्बन्ध मे बिल्डर द्वारा प्रस्तुत संशोधित Declarations एंव मानचित्र परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह-09:30 से सायं-06:00बजे के मध्य नियोजना विभाग के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर Display में किया जा सकता है। उ0प्र0 अर्पाटमैन्ट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधन की घोषणा के सम्बन्ध मे अपार्टमैन्ट स्वामियों/संघ को नोटिस जारी करने के साथ 30 दिन के अन्दर आपत्तियां आमंत्रित की गयी है।

अतः उपरोक्त के निहतार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रूप से अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एंव दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्य दिवस मे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, 169, चितवन एस्टेट, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोएडा में स्थित महाप्रबंधक नियो0/वास्तु0 विभाग में निर्धारित अवधि अर्थात सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों में प्राप्त करायी जा सकती है।

महाप्रबन्धक(नियो0/वास्तु0)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण